पूर्व मध्य रेल

प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी

(PARTICIPATION OF RAILWAY EMPLOYEES IN MANAGEMENT – PREM)

वर्ष 2025

प्रेम समूह की प्रथम बैठक

स्थान :

सभाकक्ष, महेन्द्रुघाट, पटना

समय :

11.00 बजे

दिनांक : 12 सितम्बर 2025

सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ट सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	पिछले प्रेम बैठक (16.01.2024) की कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी।	3–7

<u>मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही</u>

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव प्रेम ग्रुप	11.00	11.05
2.	अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय संबोधन।	महाप्रबंधक सह अध्यक्ष प्रेम ग्रुप	11.05	11.15
3.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :–			
	ईसीआरईयू	अध्यक्ष	11.15	11.35
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	एस0सी0 एवं एस0टी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	11.35	11.45
		जोनल सचिव		
	ओ0बी0सी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	11.45	11.55
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	11.55	12.05
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.05	12.15
		महासचिव		
4.	वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	12.15	12.45
5.	वर्तमान एजेंडा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष की अनुमति से	12.45	13.28
6.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.28	13.30

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 16.01.2024) की कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी :–

क्र.सं.	मद	प्रधान विभागाध्यक्ष	अनुपालन / अभियुक्ति
1.0	**श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव,महासचिव, ईसीआरकेयू**		
1.1	कर्मचारियों के रनओवर हो जाने पर इनके लिए कफन तथा फूल माला की उपलब्धता सरकारी तौर पर कराने पर बल दिया तथा ऐसी स्थिति आने पर रेलवे की ओर से कोई अधिकारी पीड़ित के घर पर जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष	इस संबंध में सभी मंडलों / युनिटों को आवश्यक दिशा निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही, इसके अक्षरशः पालन का अनुरोध भी किया गया ।
1.2	दानापुर , सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल में गाड़ियों के एसी कोच में अनधिकृत यात्रा को रोका जाना चाहिए। इसके लिए बड़े स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी सहायता ली जानी चाहिए। आवश्यक्ता पड़ने पर राज्य सरकार से भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।	प्रमुसुआ मरेप्र / दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर	1. इस संबंध में मुख्यालय वाणिज्य विभाग द्वारा वं0 मंडल वाणिज्य प्रबंधक– दानापुर , सोनपुर एवं समस्तीपुर को पत्र सं. ECR/HQ0CoMM(EDR)1/2020 दिनांक 23.02.2024 के माध्यम से अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गये है। 2. एसी कोच में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों के विरूद्ध रेल सुरक्षा बल, जी. आर.पी एवं वाणिज्य विभाग की ओर से टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाये जा रहे है। 3. दि0 05.02.2024 से 09.02.2024 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान के दौरान कुल 892 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे 570725 / – रूप्ये वसूल किया गया एचं मंडलों के स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरो की मदद से भी निगरानी की जाती है।
1.3	केन्द्रीय चिकित्सालय में डायलिसिस सुविधाओं का उन्नयन इस प्रकार किया जाय कि सभी को समय पर इसका लाभ मिल सके।	प्रमुचिनि	केन्द्रीय चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट में तीन डायलिसिस मशीन कार्यरत है तथा एक नया डायलिसिस मशीन का क्रय प्रकियाधीन है, जो स्टोर्स विभाग में टेंडर की स्थिति में है तथाजो जल्द ही क्रय कर लिया जाएगा। इसके क्रय हो जाने से मरीजों का उपचार सुचारू रूप से संभव हो सकेगा। भविष्य में मरीजों को परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रखा जायेगा
1.4	धनबाद मंडल में इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए कि रनिंग स्टाफ का तनाव कम हो सके।	मरेप्र / धनबाद	रनिंग कर्मचारियों के तनाव को कम करने के लिए मंडल स्तर पर रेलवे ट्रेंनिग स्कूलों मे प्रत्येक सप्ताह योग एवं प्राणायाम की कक्षाएं चलाई जा रही है। Join for smile अंतर्गत Dr. Sagar Kashyp द्वारा motivational सेमिनार का आयोजन DTTC/PTRU में किया गया और डिपो इंचार्ज एवं मुख्य लोको निरीक्षक के द्वारा कर्मचारियों की सपरिवार काउंसलिंग की जा रही है, ताकि रनिंग कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से पूर्व विश्राम कर सके एवं तनाव मुक्त रह सके। साथ ही,

			तकनिकी विषयों के अलावा अन्य विषयों पर भी सीधा संवाद करके अधीनस्थ कर्मचारियों के मनोबल को प्रबल करने का प्रयास किया जा रहा है।
1.5	चिकित्सकों की उपलब्धतता सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक सीएमपी उपलब्ध कराया जाय।	प्रमुचिनि	पूर्व मध्य रेल में आईआरएचएस की 39 रिक्तियों के विरूद्व 25 सीएमपी कार्यरत हैं। शेष 14 रिक्तियों के लिए सीएमपी का चयन प्रक्रियाधीन है।
1.6	सामुदायिक भवनों का विकास किया जाना चाहिए।	प्रमुइं	वर्त्तमान में सामुदायिक भवन का मंडल वार स्थिति इस प्रकार हैं धनबाद मंडल–07, डीडीयू मंडल–06, दानापुर मंडल–03, सोनपुर–04 (जिसमें से 01 निर्माणाधीन हैं।) एवं समस्तीपुर मंडल– 03 तथा अन्य स्थानों पर सामुदायिक भवन के आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कराया जा रहा हैं। तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
1.7	क्वार्टरों की स्थिति का सर्वे किया जाना चाहिए । क्वार्टरों के रहने योग्य अनुकुल नहीं रहने पर इन्हें पूरी तरह से मलवा सहित हटा दिया जाना चाहिए।	प्रमुइं	सर्वे का कार्य समय–समय पर किया जाता हैं तथा रहने योग्य अनुकूल नहीं रहने पर इसे Abondmment/ demolition की कार्रवाई की जाती हैं।
1.8	क्वार्टरों में अनधिकृत आवासन की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।	प्रमुइं	अनाधिकृत आवास की पहचान के लिए कमिटी बनाकर कार्यवाही की जा रही है।
2.0	**श्री एस. एस. डी. मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष, ईसीआरकेयू**		
2.1	सफाई से संबंधित कार्यो का निपटारा अलग–अलग स्थानों पर अलग – अलग तरीकों से किया जा रहा है। इसमें एकरूपता लाई जानी चाहिए।	प्रमुवाप्र, प्रमुयांइं, प्रमुचिनि	स्टेशन वर्गीकरण श्रेणी के अनुसार चल रहे निविदा में इसे सुनिश्चित किया गया है।
2.2	सफाई पॉलिसी के संबंध में पीसीएमई,पीसीपीओ,पीसीएमडी एवं यूनियन की एक मीटिंग कराई जानी चाहिए।	प्रमुकाधि	संबंधित विभागाध्यक्षों से प्रस्ताव आने पर यूनियन के साथ बैठक की तिथि निर्धारित की जाएगी।
2.3	किउल – गया खण्ड में सफाई के लिए राशि की उपलब्धता स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार किया जाना चाहिए।	प्रमुयांइं प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	किऊल–गया खण्ड में D&E श्रेणी के स्टेशन हैं, जिसका मापन किया गया है तथा उसकी निविदा वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।
2.4	ऐसा देखा गया है कि स्टेशनों पर साफ सफाई हर दूसरे दिन की जा रही हैं, जबकि साफ–सफाई एक सत्त प्रक्रिया है, जो प्रतिदिन की जानी चाहिए।	प्रमुवाप्र, प्रमुयांइं, प्रमुचिनि	विभिन्न प्रकार के स्टेशनों में अलग–अलग फूट–फॉल होते हैं और अलग–अलग आवश्यकताएं होती हैं। स्टेशनों की सफाई संबंधित अधिकारियों द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। हालांकि, नये अनुबंध अनुरोधित मद को शामिल करते हुए किया गया है तथा साफ–सफाई प्रतिदिन कराई जा रही है।
2.5	किऊल स्टेशन पर बुकिंग ऑफिस को सामुदायिक भवन के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है किन्तु वर्तमान में इसमें आरपीएफ/जीआरपी कब्जा जमा लेते हैं । इस स्थल को	प्रमुसुआ, प्रमुइं	किऊल स्टेशन पर सामूदायिक भवन के दिवार का निर्माण कार्य करा दिया गया है। पुराने प्रोफाईल शीट को बदल कर नया प्रोफाईल शीट लगा दिया गया है। मालदह टाउन आर. पी.एफ. स्काउटिंग टीम द्वारा वर्त्तमान में

	समुदायिक भवन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।		सामुदायिक भवन का एक छोटा कमरा अपने कब्जे में रखा गया है। शेष हॉल अतिक्रमण मुक्त है। उक्त कमरे को खाली करने हेतु नोटिस जारी की जा रही है।
2.6	राजगीर में नव निर्मित होली–डे–होम को बुकिंग हेतु अविलंब उपलब्ध कराया जाय।	प्रमुइं	राजगीर स्थित होली–डे–होम कार्मिक विभाग द्वारा बुकिंग प्रारंभ कर दी गई है।
2.7	रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रो के निरीक्षण हेतु एक कमिटी बनाई जानी चाहिए जिसमें यूनियन को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष	प्रशिक्षण केंद्रो के निरीक्षण रपट की प्रति मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन/एसोसिएशन को उपलब्ध कराई जाएगी।
2.8	आरएनसीसी एवं दानापुर में सिग्नल एवं दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं के लिए और अधिक हॉस्टल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।	मरेप्र/दानापुर, प्रमुसिदुइं	दानापुर सि.एवं दू. सं. प्रशिक्षण केंद्र में 60 बेड वाले हॉस्टल को मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है एवं कार्य प्रगति पर है।
2.9	एलएचवी कोच के व्हील की कमी को दूर किया जाय।	प्रमुयांइं	एम सी एफ को आइटमाइज्ड और बल्क आर एस पी के तहत कुल मात्रा 860 ब्हील सेट आपूर्ति करनी है जिसमें से अब तक 290 ब्हील सेट प्राप्त हुआ है एवं आगत महीनों में बाकी 566 ब्हील सेट प्राप्त होगा जिससे सभी कोचिंग डिपो में आपूर्ति की जाएगीं।
2.10	भीड़ भाड़ वाले खण्ड पर अमृत भारत जैसी गाड़ियां चलाई जाय।	प्रमुवाप्र, प्रमुपरिप्र,	अमृत भारत गाड़ियों का परिचालन रेलवे बोर्ड के दिशा– निर्देश के अनुसार किया जाता है।
2.11	रेल मदद ऐप पर प्राप्त मामलों का समुचित तथा ससमय निवारण किया जाय।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष	रेल मदद पोर्टल पर दर्ज मामलों का निपटान मंडल स्तर पर किया जाता है। मामलों के त्वरित निपटान एवं औसत निपटान समय को कम करने के लिए सभी विभागों व मंडलों द्वारा दैनिक एवं साप्ताहिक समिक्षा की जा रही है।
3.0	**श्री पवन कुमार राम, महासचिव, एससीएसटी**		
3.1	आवास आवटंन में रेलवे बोर्ड की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकुल पॉलिसी में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष	आवास आवटंन हेतु विभिन्न स्तरों पर आवास समिति गठित है। आवास समिति के द्वारा रेलवे बोर्ड एवं अन्य सक्षम प्राधिकार के द्वारा परिवर्तित निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए आवास आवंटन को कार्रवाई की जाती है। तथापि इस संबंध में सर्वसंबंधित को आवश्यक दिशा– निर्देश दिए जाने हेतु प्रमुइं को अनुरोध किया गया है।
3.2	कर्मचारियों का रोटेशनल स्थानांतरण यथासंभव निकटतम कार्यस्थल पर किया जाय ताकि उनके बच्चों की शिक्षा आदि पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।	प्रमुकाधि वरि0 उप महाप्रबंधक	उल्लेखनिय है कि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशित संवेदनशील कोटियों/पदों के आवधिक स्थानांतरण संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा समय –समय पर किया जाता है।इसकी प्रति नियमित तौर पर प्रमुकाधि के माध्यम से वउमप्र के द्वारा निगरानी की जाती है।
3.3	केंद्रीय आवास समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए।	प्रमुकाधि उप महाप्रबंधक /सा.	महाप्रबंधक/का0 के पत्र सं. ईसीआर/एचआरडी/322/आवास समिति दिनांक 13.07.2005 में केन्द्रीय आवास समिति के गठन का प्रावधान है। मुख्यालय में समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

<table>
<tr><td>3.4</td><td>रेलवे में ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मियों को नियमानुसार मजदूरी का भुगतान नहीं होता है । यह अमानवीय शोषण है। इससे रेल की ही छवि धूमिल होती है। इसे रोका जाना नितांत आवश्यक है साथ ही साथ इनके कार्य के घंटों का रेगुलेशन भी किया जाना चाहिए।</td><td>सभी प्रधान विभागाध्यक्ष</td><td>सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। प्रावधानानुसार मैनपावर एवं आउटवर्क वेस्ड संविदा के तहत संवेदकों द्वारा उक्त कार्य के संपादन हेतु नियोजित कर्मियों के पक्ष में निर्धारित न्यूनतम वेतन, इपीएफ, इएसआईसी, आदि को भुगतान किया जाना हैं इसके अनुपालन हेतु विभिन्न मदों पर नामित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक जांचोपरांत बिल पारित किया जाता है। तथापि, सर्व संबंधित प्राधिकारियों (प्रिसिंपल इम्प्लायर) को इस आशय की संसूचना अलग दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>4.0</td><td colspan="3">श्री एकनाथ मोहकर, अध्यक्ष, ईसीआरओए</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>सभी कर्मचारियों को सीयूजी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।</td><td>प्रमुसिदुइं</td><td>इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.01.2024 को सभी विभागाध्यक्ष, डीआरएम, मुसिदूई/नि. एवं अन्य यूनिट को पत्र एवं अनुस्मारक द्वारा यथाशीघ्र कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुसंशा एवं सूचना दी गई है। वर्तमान में जारी की गई सीयूजी की स्थिति इस प्रकार है।
CUG Position(as on August ‘25
<table>
<tr><th>Division/ UNIT</th><th>Total sanction Staff</th><th>Total CUG Provided</th><th>Blance</th></tr>
<tr><td>DHN</td><td>23732</td><td>23625</td><td>107</td></tr>
<tr><td>DDU</td><td>15198</td><td>12550</td><td>2648</td></tr>
<tr><td>DNR</td><td>14851</td><td>10602</td><td>4249</td></tr>
<tr><td>SEE</td><td>11293</td><td>10631</td><td>662</td></tr>
<tr><td>SPJ</td><td>11007</td><td>5006</td><td>6001</td></tr>
<tr><td>HQ</td><td>2942</td><td>2856</td><td>86</td></tr>
<tr><td>MHX</td><td>1048</td><td>1045</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>टीएडीके पॉलिसी निर्धारित करने के लिए सभी प्रधान विभागाध्यक्षगण एक नोडल अधिकारी का नामन उप महाप्रबंधक/सा0 को भेजें।</td><td>सभी प्रधान विभागाध्यक्ष</td><td>सभी विभागों से नोडल अधिकारी का नामन प्राप्त कर लिया गया हो गया है एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>5.0</td><td colspan="3">श्री बी.के.दास, अध्यक्ष, ईसीआरपीओए</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>195 मिलियन टन लदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन औसत 05 रेक की कमी को दूर करते हुए और अधिक खाली रेक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।</td><td>प्रमुवाप्र, प्रमुयांइ</td><td>विगत वर्ष की तुलना में माल डब्बों की अधिक उपलब्धता हेतु यांत्रिक विभाग द्वारा उचित कदम उठाकर इस वर्ष (2023–24) निम्न लक्ष्य की प्राप्ति की गई है–
1) रेक परीक्षण का कुल टाईम 6 घंटा 24 मिनट से घटाकर 4 घंटा 34 मिनट की प्राप्ति कर ली गई है अर्थात् 36.8 : की सुधार हुई है।
2) ROH आउट टर्म में 5.4 : की बढ़ोत्तरी हुई है।</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>करोना काल से स्पेशल की तरह चलाये जा रहे पैसेंजर गाड़ियों को करोना पूर्व की तरह चलाई जाय। इससे रेल की खराब हो रही छवि से बचा जा सकता है।</td><td>प्रमुवाप्र</td><td>रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार सभी सवारी गाड़ियों का किराया पूर्व की तरह साधारण गाड़ियों की तरह मार्च 2024 से लागू कर दिया गया हैं।</td></tr>
<tr><td>6.0</td><td colspan="3">डॉ0 अमित गर्ग, प्रमुख मुख्य इंजीनियर</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक system के द्वारा की जानी चाहिए।</td><td>प्रमुयांइ</td><td>पूमरे के सभी मंडलों में जहां निविदा में मानवबल की संख्या निश्चित है उसमें निविदा के प्रावधानों के तहत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है।</td></tr>
</table>

7.0	**डॉ0 मनोज सिंह, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक**		
7.1	गाड़ी परिचालन के लिए टाईम टेवल के संबंध में यात्रियों के सुझाव व्यवहारिक होते हैं अतः इन पर अमल किया जाना चाहिए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया।
8.0	**श्री तरूण प्रकाश, अपर महाप्रबंधक**		
8.1	कांट्रैक्ट मैनेजरों को कांट्रैक्ट के नियमों से अवगत कराया जाना चाहिए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष	1. इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधीन सभी मंडलों को संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गये है। 2. सभी नामित SSE (Contract Manager) को समय–समय पर नियम की जानकारी Seminar, Workshop, Webinar के माध्यम से अवगत कराया जाता है। 3. संबंधित SSE/CHI द्वारा मासिक परफॉरमेंस बैठक में कंट्रैक्ट मैनेजरों को नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त सफाई से संबंधित गुणवत्ता में आई कमियों में कैसे सुधार किया जाय इससे अवगत कराया जाता है।

*****

धन्यवाद